# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 106/2018 दायर दिनाँक 05.04.2018

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. रघुवीरसिंह पुत्र रूड़सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. मदनसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>2. नारायणसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>3. कानसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>4. हड़मानसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. पक्षकारान्।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँक 10.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मामड़ोदा के खसरा नम्बर 187 रकबा 51.01 बीघा में हिस्सा 1/5 में से खातेदार स्वर्गीय किशोरसिंह व स्वर्गीय सोनसिंह का नाम हटाया जावे व उक्त 1/5 हिस्सा का 1/2 वादी व 1/2 प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के खातेदारी घोषित की जावे। इस खेत में वादी का 1/10 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का 1/10 हिस्सा घोषित किया जावे।

न्याय आपके द्वार,2018ः राजस्व कोर्ट कैम्प–लौरोली कलाँ में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। पत्रावली में पूर्व में प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश हो चुका है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 106/2018
दायर दिनाँक 05.04.2018, निर्णय दिनाँक 10.05.2018
रघुवीरसिंह बनाम् मदनसिंह, वगैरा।

वाद का गुणवगुण के आधार पर परीक्षण किया गया। पत्रावली में पूर्व में पेश इकबालिया जवाब अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना हमारे मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादी, बाद विवेचना, डिक्री सादिर किया जाता है।

## –:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **मामड़ोदा** में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 51.01 बीघा में दर्ज मृतक खातेदारान् स्वर्गीय किशोरसिंह व स्वर्गीय सोनसिंह पुत्रगण स्वर्गीय भूरसिंह निवासी–मामड़ोदा के वारिशान् की जाँच करते हुए इनके वारिशान् के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
**R.A.S.**
**सहायक कलक्टर**
**डीडवाना**
**कोर्ट कैम्प–लौरोली कलाँ**

निर्णय, आज दिनाँक **10.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
**R.A.S.**
**सहायक कलक्टर**
**डीडवाना**
**कोर्ट कैम्प–लौरोली कलाँ**

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
**–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–**
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 106/2018 दायर दिनाँक 05.04.2018

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. रघुवीरसिंह पुत्र रूड़सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. मदनसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>2. नारायणसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>3. कानसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>4. हड़मानसिंह पुत्र स्वर्गीय शेरसिंह,<br>समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–मामड़ोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.**

दिनाँक 10.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **पक्षकारान् उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **मामड़ोदा** में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 51.01 बीघा में दर्ज मृतक खातेदारान् स्वर्गीय किशोरसिंह व स्वर्गीय सोनसिंह पुत्रगण स्वर्गीय भूरसिंह निवासी–मामड़ोदा के वारिशान् की जाँच करते हुए इनके वारिशान् के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ..........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प लाँरोली कलाँ

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह<br>सबूत<br>महनताना<br>वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बावत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>—<br>— | | स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बावत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—लौरोली कलाँ

Scanned by CamScanner